एडीजी-परिपत्र संख्या- 4 /2018

चन्द्र प्रकाश
आई0 पी0 एस0

अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः अप्रैल 23, 2018

प्रिय महोदय,

प्रदेश में महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों में त्वरित एवं समग्र विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। महिलाओं के साथ घटित होने वाली घटनाओं में तत्परता से आवश्यक कार्यवाही न किये जाने के कारण पुलिस को न्यायपालिका एवं मीडिया में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

आप सहमत होगे कि महिलाओं विशेष रूप से नाबालिग बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराध यथा बलात्कार/सामूहिक बलात्कार, छेड़खानी आदि की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय व चिन्ता का विषय हैं। महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अपने अधीनस्थ जनपदों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कार्ययोजना विकसित कर कार्यवाही की अत्यन्त आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि नाबालिग बच्चियों/महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के पंजीयन से लेकर विवेचना समाप्ति तक पुलिस द्वारा पर्याप्त संवेदनशीलता दर्शायी जाये। ऐसे अपराध की सूचना के प्राप्त होने के पश्चात पर्याप्त संवेदनशीलता बरतते हुए तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये न्यायालय के आदेशों एवं विधि के प्रभावी नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही किया जाना चाहिए ताकि किसी भी पीड़िता का उत्पीड़न न हो एवं उनके सम्मान की रक्षा हो सकें।

अतः पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि अवयस्क बच्चियों के बलात्कार/सामूहिक बलात्कार एवं छेड़खानी की घटित घटनाओं क. तत्परता से स्थलीय निरीक्षण स्वयं करें एवं इन प्रकरणों को अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचनात्मक कार्यवाही कराते हुए संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध विधि संगत कठोर कार्यवाही करायें तथा ऐसे अपराधों में जहाँ पर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये हैं, उनमें **POCSO ACT** के अन्तर्गत गठित विशेष अदालतों में अभियोगों की प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्तों को दण्डित कराने का कष्ट करें।

सस्नेह

भवदीय

23/4/18
(चन्द्र प्रकाश)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

24/4/18

24/4